# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

बइजलास–पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

**प्रकरण संख्या :–35/2020**

**प्रार्थीगण :–**

1. श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भाखरपुरा सिणेर
2. श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भाखरपुरा सिणेर
3. श्री लादुसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भाखरपुरा सिणेर
4. श्री नरपतसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भाखरपुरा सिणेर
5. श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री मानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भाखरपुरा सिणेर
6. श्री वगतसिंह पुत्र श्री खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भाखरपुरा सिणेर

**बनाम**

प्रतिवादीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. सिवाना

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा.का.अ. सपठित धारा आदेश 39 नियम 1,2 दी.प्र.सं.हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा**

उपस्थितः– 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता जयप्रकाश रामदेव ।

2 राजकीय पैरोकार ।

## –: आदेश :–

दिनांक – 14.12.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 सपठित धारा 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना प[illegible]त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की खेत [illegible] संख्या 239 रकबा 03.39 हैक्टयर,खसरा संख्या 339 रकबा 11.5336 हैक्टयर सरहद मौजा भाखर[illegible] आयी हुई है प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खसरा संख्या 239 व 339 के मध्य होकर राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग खसरा संख्या 272 की भूमि आई है, जो कटान मार्ग से खेतों के मध्य स्थित है, मगर मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनूरूप खसरा सख्या 339 व 239 के मध्य होकर खसरा संख्या 339 की खातेदारी में चल रहा है,जो मार्ग पीढीयों से चला आने पर आमजन की सुविधा के लिये राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

सरकार द्वारा सरकारी राशि खर्च कर ग्रेवल सडक का निर्माण भी मौके पर किया गया। जिस पर किसी खातेदारन ने आपित्त पेश नहीं की प्रार्थनापत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित बरंग लाल मार्ग मोके पर पीढियों से चल रहा,जो सभी के लिये आवगमन में करने में कोई रूकावट दखलंदाजी पैदा नहीं की ,जिससे राज्य सरकार द्वारा भी सरकारी राशि व्यय कर, उस पर ग्रेवल सडक निर्माण भी किया गया ,जो रास्ता पीढियों से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण मार्ग से हटकर उसके समान्तर खसरा संख्या 337,338 व 339 के 3/4 हिस्से मे रहा है,जो आगे जाकर 239 की माठ के होते खसरा संख्या 230 गै.मु.नाला से होता हुआ,खसरा संख्या 236 में प्रवेश होता है। परिशिष्ट अ में अंकित बरंग लाल मार्ग पीढीयों से चला आने एवं खसरा संख्या 339, 338 ,337 के खातेदारो के हक हिस्से प्रभावित नहीं होने तथा उपरोक्त मार्ग सुविधाजनक युक्त होने से खातेदार द्वारा कटाण मार्ग के रूप में कायम कर दिया गया यानि कि खातेदारान द्वारा बरंग लाल मार्ग को ही कटाण मार्ग घोषित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण मार्ग के अनुरूप इसे उपयोग उपभोग में लेने लेगे जिसमे मार्क ABC से जगह जहां नया मोड दिया गया वह आमजन की सुविधा के अनुरूप मौके की परिस्थिति के अनुरूप मोड दिया गया क्योकि खसरा संख्या 230 गै.मु.नाला है, तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण मार्ग जो मार्क D स्थान पर खसरा संख्या 230 गै.मु.नाला मे प्रवेश करता है वहा 10 से 15 फीट गहरा नाला होने से ट्रेक्टर इत्यादि आवगमन के साधन उस जगह से चढ उतर नहीं पाने से आमजन द्वारा खसरा संख्या 239 में A स्थान से प्रवेश कर B स्थान पर गै.मु.नाला में प्रवेश पर आवागमन कर रहे थे,जहां नाला 4-5 फीट ही गहरा होने से खसरा संख्या 239 के खातेदार लादूसिंह जो प्रार्थीगण है जिनके हिस्से में उपरोक्त भूमि आई हुइ है, तथा मौके पर काश्त कर रहे है उनके द्वारा कोई रूकावट पैदा नहीं की न आज रोज भी करने को तैयार है खसरा संख्या 239 के खातेदार लादूसिंह के द्वारा सहमति देने पर आज रोज तक पीढीयों से मौके पर ABC होकर रास्ता चल रहा है । जहां ग्रेवल बिछी हुई है जिस पर वर्तमान में राज्य सराकर द्वारा डामरीकरण करने के लिये सरकारी बजट जारी किया है जिसके अनुरूप विप्रार्थीगण संख्या 02 मौके पर निर्माण कर[illegible] ABC से होकर अन्य आम ग्रामीणों द्वारा आवगमन करने व सभी [illegible] होने से प्रार्थी लादूसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि लाखों रूपये [illegible] नक्शा परिशिष्ट अ के वर्णित X स्थान पर पानी की ट्यूबवेल खु[illegible] जाकर सिंचाई की जा रही है तथा मौके पर अनार की फसल भी लाखों रूपये लगाकार तैयार की है। जिससे अन्य खातेदार जो लादुसिंह से ईर्ष्या करते है,उनके द्वारा तहसीलदार सिवाना को मिलकर कटाण मार्ग ADC होकर रास्ता कायत करने पर दबाया तथा A से E हिस्से मे जहा बरंग लाल स्थान पर रास्ता चल रहा है,उसे यथावत रखने को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

कहा,जिस पर दिनांक 25.06.2020 को श्रीमान् तहसीलदार सिवाना मौके पर आये व जांच कर व मौके पर चल मार्ग को ही उचित होना बताया,मगर प्रार्थीगण के सहखातेदारनान द्वारा तहसीलदार जी सिवाना पर नाजायज दबाब बनाया कि मार्क ए से डी हिस्से में ही नया रास्ता कायम,करे जिस पर तहसीलदार जी सिवाना ने प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण मार्ग A से D के मध्य रास्ता खोलने पर दबाव बनाया. जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा काफी समझाईश भी की मगर तहसीलदार सिवाना दबाब कि मार्ग A से D हिस्से में ही नया रास्ता कायम करे,जिस पर तहसीलदार सिवाना ने वादीगण का राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण मार्ग A से D के मध्य रास्ता खोलने पर दबाव बनाया विप्रार्थीगण श्रीमान् तहसीलदार सिवाना अनुचित दबाव की वजह से प्राथीगण के हक हिस्से मे दखलदांजी पैदा कर उसे हटाना चाहते है इसलिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कटाण मार्ग को दुरूस्त करवाकर बरंग लाल मार्ग को कटाण मार्ग घोषित करना आवश्यक हो गया जिस हेतु वाद पत्र बाबत घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेत पेश किया गया जिससमे प्रार्थीगण को सफल होने की पूर्ण आशा है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण सुविधा का संन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति जैसे विचाराधीन विधिक बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थी के विरूद्व दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने में विध्यमान है। विप्रार्थी को इस आशय अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 272 किस्म गै.मु.कटाण रास्ता मौजा भाखरपुरा की दौराने दावा मौके की यथास्थिति फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया।

विप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खरिज करने हेत निवेदन किया । विप्रार्थी संख्या 1 को जबाब हेतु पूर्ण अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को तय करना [illegible] विप्रार्थीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी की छायाप्रति अप्रमाणित संवत् 2071–2074 मौजा भाखरपुरा नक्शा किश्तवार [illegible] आंशिक छायाप्रति सरहद मौजा भाखरपुरा खसरा संख्या 643/272 का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित भूमि रास्जव अभिलेख मे विप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम गै.मु. रास्ता दर्ज हैं प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय से दरख्वास्त के

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

जरिये जो राहत चाही गई है उसकी सही जानकारी न्यायालय के समक्ष पक्षकारन के साक्ष्य आने के बाद ही स्पष्ट हो पाये जो प्रार्थीगण द्वारा दौराने दावा निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य रास्ते को लेकर विवाद है। जमाबंदी में आराजी भूमि राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज जो नक्शा किश्तवार मे रास्ता दर्ज है जिस पर विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सडक निर्माण करवाया जा रहा जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दखल किया जा रहा है।

प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज से विवादित भूमि विप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है इससे ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक में दौरान दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी का आधार प्रथम दृष्टिया मामला ,सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता। अस्थाई निषेधाज्ञा को अपूरर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को नही होकर विप्रार्थीगण को होगी । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक में दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आधार प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा का संतुलन का साम्या का पवित्र सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होकर विप्रार्थीगण के पक्ष मे विद्यमान है । अतः प्रथम दृष्टिया प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अ. खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान )
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

( कुसुमलता चौहान )
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना